नाम - डॉ. प्रदीप कुमार राय (एसो. प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग
रोहतास महिला कॉलेज, सासाराम)
विषय - राजनीति-शास्त्र
कक्षा - बी.ए. (प्रतिष्ठा) भाग - 02
पेपर - 04 (~~भाग - 02~~)
दिनांक - 10.07.2020
टॉपिक - महासभा - अधिकार और कर्तव्य (भाग - 02)

विचारात्मक कार्य — सु. परिषद् के अंतर्गत विचाराधीन विषयों पर महासभा वाद-विवाद कर सकती है किंतु जब तक परिषद् महासभा के निर्णय की मांग न करे तब तक महासभा निर्णय नहीं कर सकती है। सु. परिषद् तथा अन्य अंग अपने वार्षिक कार्य विवरण की रिपोर्ट महासभा के पास भेजते हैं और सभा में निर्धारित तिथि को उन पर विचार होता है।

निर्वाचन संबंधी — महासभा द्वारा सु. परिषद् के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के 54 सदस्यों एवं न्यास परिषद् के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार समान रूप से महासभा एवं सुरक्षा परिषद् को है। सुरक्षा परिषद् की अनुमति होने पर ही महासभा नये सदस्यों को पद ग्रहण करने की अनुमति देती है। सं. रा. संघ के सदस्यों की नियुक्ति भी महासभा सु. परिषद् की सिफारिश पर करती है।

बजट संबंधी — सं. रा. संघ का आय-व्यय महासभा द्वारा ही स्वीकृत होता है जिससे कि इसका अन्य अंगों पर स्वतः आर्थिक नियंत्रण हो जाता है।

निष्कासन संबंधी — उद्दण्ड राष्ट्रों को निकालने का अधिकार महासभा को प्राप्त है। महासभा किसी राष्ट्र को सु. परिषद् के अनुरोध पर कुछ समय के लिये संघ की सदस्यता से हटा सकती है किंतु यदि कोई चार्टर के आदेशों और सिद्धांतों की निरंतर अवहेलना करता है तो सु. परिषद् के अनुरोध पर ~~कुछ समय के~~ लिये महासभा उसे सदा के लिये निकाल सकती है।

ऐच्छिक कार्य — चार्टर के अनुसार महासभा के ऐच्छिक और अनिवार्य दो प्रकार के कार्य हैं। ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना, सुरक्षा तथा निःशस्त्रीकरण के लिये समस्त देशों में सहयोग स्थापना की चेष्टा करना। इन सब विषयों के संबंध में महासभा तभी अपना मत निश्चित कर सकती है जब सु. परिषद् उससे परामर्श के लिये अनुरोध करे।

अनिवार्य कार्य — इसके अनिवार्य कार्य निम्नांकित हैं —
(1) सं. रा. संघ का बजट पास करना (2) सु. परिषद् तथा अन्य संस्थाओं एवं संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना (3) न्यास परिषद् पर निरीक्षण करना (4) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

Scanned with CamScanner

के उद्देश्य से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन व जांच-पड़ताल करवाना तथा तद्विषयक सिफारिशें करना (5) प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा व धर्म के मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने ~~के संबंध में~~ में सहायता देना। इस प्रकार चार्टर द्वारा महासभा को इतने व्यापक अधिकार प्राप्त हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व का मसला उसके सामने पेश हो सकता है।

<u>समितियां</u>— महासभा अपना कार्य संचालन 6 मुख्य समितियों द्वारा करती है— (1.) निःशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, (2.) आर्थिक और वित्त समिति (3.) सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति (4.) विशेष राजनीतिक तथा औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति (5.) प्रशासनिक एवं बजट समिति तथा (6.) कानूनी समिति।

<u>शांति के लिये एकता प्रस्ताव</u>— 03 नवंबर, 1950 को महासभा में शांति के लिये एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया जो तत्कालिन समय में सो. संघ द्वारा सु. परिषद् की कार्यवाही के बहिष्कार स्वरूप लाया गया। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप महासभा को सामूहिक कार्यवाही एवं सेना का उपयोग करने का अधिकार मिल गया। इसके अनुसार यदि महासभा की बैठक न होती हो तो सु. परिषद् के 9 सदस्यों के वोट पर या सं. रा. संघ के अधिकांश सदस्यों के वोट पर इस प्रकार के अधिवेशन की प्रार्थना किये जाने पर 24 घंटे के अंदर ही विशेष आपातकालीन अधिवेशन हो सकता है। इसका उद्देश्य छोटे-2 विवादों/मुद्दों को रोकना, बैठे क्रियाशील बनाना, राजनीतिक दबाव डालना, वीटो के डंक को कम करना है।

<u>छोटी असेम्बली</u>— 1947 ई. में सु. परिषद् में स्थायी सदस्यों के उग्र विरोध एवं वीटो के दुरुपयोग के कारण विश्व सुरक्षा एवं शांति बनाये रखने की दृष्टि से एक अंतरिम समिति नामक सहायक अंग स्थापित किया गया जिसे छोटी असेंबली कहा जाता है जो सदा अधिवेशन में बनी रहने वाली स्थायी संस्था है जो महासभा का सामान्य अधिवेशन न होने की दशा में उसके अधिकार क्षेत्र में आनेवाले प्रश्नों पर विचार करती है।

<u>निष्कर्ष</u>— समय के साथ-साथ इसके महत्त्व एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है तथा विश्व शांति, सुरक्षा, निःशस्त्रीकरण, पर्यावरण, सहायता, तकनीकी विकास, मानवाधिकार, क्षेत्रीय विवाद, आतंकवाद आदि जैसे विभिन्न मामलों में इसका प्रयास सहयोगी, सकारात्मक एवं सक्रियता पूर्ण रहा है। इसीलिये इसे विश्व का उन्मुक्त अन्तःकरण कहा जाता है। (समाप्त)